उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 477 /सेक–2–पॉच–16–1(12)/2013टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक : फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के चिकित्साधिकारियों को लेवल–5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8900) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05.01.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2– विभागीय चयन समिति की बैठक के समय डा0 पुष्पेन्द्र कुमार पाठक, वरिष्ठता कमांक–4690, के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की संस्तुति 'बंद लिफाफे' में रखी गयी थी। उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को जांचोपरान्त शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 28.09.2015 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है।

3– फलस्वरूप चयन समिति द्वारा संस्तुत उनकी पदोन्नति संबंधी 'बन्द लिफाफा' को खोलते हुए संस्तुति के अनुसार डा0 पुष्पेन्द्र कुमार पाठक को उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि दिनांक 28.01.2015 से लेवल–5, अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8900) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– डा0 पाठक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–477(1)/सेक–2–पांच–16, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6– प्रमुख अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ।
7– कोषाधिकारी, मेरठ।
8– प्रभारी, कम्प्युटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9– डा0 पुष्पेन्द्र कुमार पाठक, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– / /सेक–2–पॉच–16–6(80)/2014
लखनऊ :: दिनांक : फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी डा0 सुरेश चन्द्र जोशी (वरिष्ठता क्रमांक–4246) की लेवल–4 से लेवल–5 (अपर निदेशक ग्रेड) में प्रोन्नति का प्रकरण वार्षिक गोपनीय प्रविटियों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत आस्थगित रखा गया था।

2– डा0 सुरेश चन्द्र जोशी की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के उपलब्ध हो जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2015 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार उन्हें उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 शैली मल्होत्रा (वरिष्ठता क्रमांक–4257) की पदोन्नति की तिथि 25.09.2012 से लेवल–5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8900) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–481 (1)/सेक–2–पांच–16, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
5– कोषाधिकारी, लखनऊ।
6– डा0 सुरेश चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त म0नं0–सी0–3583, राजीपुरम, लखनऊ।
7– प्रभारी, कम्प्युटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।